The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] No. 89]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2002/वैशाख 9, 1924 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2002/VAIS AKHA 9, 1924

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2002

सं. 26-7/विधिक/2002.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987. (1987 का 52) की धारा 10 खण्ड (ज) तथा खण्ड (ण) सहंपठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है । ये विनियम, उपर्युक्त "अभातशिप अधिनियम, 1987" की धारा 2 (छ) के आशय के अनुरूप तथा "विनियम, 2000" और परिपत्र दिनांक 3/9 अक्टूबर, 2001 जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को निरस्त करते हुए जारी किए जा रहे हैं -

- क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में विदेशी राष्ट्रिका/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी/कोटा के अधीन प्रवेश) विनियम, 2000 (भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड-IV में 31 मार्च, 2001 को यथा-प्रकाशित) ;
- ख) अनिवासी भारतीय सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश देते हुए परिषद् द्वारा जारी किया गया 03/09 अक्टूबर, 2001 का परिपत्र संख्या एफ 38-7/लीगल/2001 ।
- 1.0 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
 - 1.1 इन विनियमों को 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातिशिप अनुमोदित संस्थाओं व अनिवासी भारतीय/विदेशी राष्ट्रिक/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी/कोटा के उन्हें पर र विनियम, 2002 कहा जाए।
 - 1.2 ये विनियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

. 1

1.0 प्रयोज्यता

ये विनियम समस्त स्व-वित्तपोषित संस्थाओं पर लागू होंगे।

स्व-वित्तपोषित संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाएं (तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम/कार्धकम संचालित/प्रस्तुत करने वाले सम-विश्वविद्यालयों के विभाग/अनुभाग विश्वविद्यालयों के विभाग/अनुभाग तथा घष्टके/सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) सम्बधित राज्य रारकारों/ संघशासित हों । प्रशासनों/ केन्द्र सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के आधार पर इन विनियमों का अनुपालन कर सकती हैं।

3.0 परिभापाएं

यहां प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की व्याख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम (1987 का 52) की धारा (2) में नहीं की गई है। संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होने तक, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जोकि उनके लिए इन विनियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किए गएं हैं।

- 3.1 'अधिनियम' का अर्थ है- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम् 1987(1987 का 52):
- 3.2 'अभातिशप के सक्षम प्राधिकारी ' का अर्थ है परिषद् अथवा परिषद् की कार्यकारिणी समिति (अथवा कार्यकारिणी समिति की उप-समिति) अथवा परिषद् के अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपरिधिति में परिषद् के उपाध्यक्ष ;
- 3.3 'प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय अथवां अन्य कोई प्राधिकारी जिसे किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में तकनीकी संरथाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के आवंटन के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए ।
- 3.4 'संस्था' का अर्थ है अभातशिष अधिनियम, 1987 की धारा 2 (ज) में यथा परिभाषित 'तकनीकी संस्था'।
 - 3.5 'शुल्क' का अर्थ है- शिक्षण एवं अन्य शुल्क, परन्तु इसके अन्तर्गत विकास शुल्क शामिल नहीं है।
 - 3.6 'विकास शुल्क' का अर्थ है- विद्यार्थियों से शुल्क के अतिरिक्त वसूली जाने वाली वह निश्चित राशि जो 'तकनीकी संस्थाओं ' के विकास हेतु अभातिशप द्वारा, तकनीकी संस्था की प्रत्येक श्रणी हेतु निर्धारित की गई हो।
 - 3.7 र 'निशुल्क सीटों ' का अर्थ है- वे सीटें, जिनके लिए देय 'शुल्क ' उतना ही होता है जितना कि संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में राजकीय संस्था/राजकीय सहायता प्राप्त संस्था के लिए निर्धारित किया गया हो। भिन्न-भिन्न राजकीय संस्थाओं/राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं हारा

वसूले जाने वाले शुल्क में अन्तर की स्थिति में तकनीकी शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी भी राजकीय संस्था/राजकीय सहायता प्राप्त संस्था द्वारा वसूला जाने वाला उच्चतम शुल्क ही निशुल्क सीटों के लिए शुल्क माना जाएगा।

- 3.8 'सशुल्क सीटों' का अर्थ है वे सीटें, जिनके लिए देय शुल्क, निशुल्क सीटों से अधिक हो आर जो राज्य स्तरीय शुल्क समिति अथवा राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा तय किया गया हो।
- 3.9 प्रस्तुत संदर्भ में 'अनिवासी भारतीय' का अर्थ है निम्निलिखित स्पष्टीकरणों के अधीन रहते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 में यथा-परिभाषित अनिवासी भारतीय

कोई भी व्यक्ति तब अनिवासी माना जाता है जब वह ' निवासी न हो ' या फिर जब वह 'साधारणतः निवासी न हो । किसी व्यक्ति को 'साधारणतः निवासी नहीं' तब समझा जाता है जब निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती हो :

- यदि वह पिछले 10 में से 9 साल भारत में निवासी न रहा हो/रही हो ; अथवा
- 2. यदि वह पिछले 7 वर्षों के दौरान 730 दिनों की अवधि अथवा इससे अधिक समय के लिए भारत में न रहा हो/रही हो।
- 3 10 'अनिवासी भारतीय' सीटों का अर्थ है तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों में अनिवासी भारतीयां के प्रवेश हेतु तय सीटें।
- 3 11 'भारतीय मूल के व्यक्तियों ' का अर्थ प्रस्तुत संदर्भ में है ऐसा व्यक्ति जिसके पास विदेशी (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) नागरिकता हो, परन्तु जिसके पास, आवेदन पत्र भेजते समय, प्रवेश हेतु विचार किए जाते समय तथा उसके अध्ययन की अविध के दौरान भारतीय प्रसपोर्ट रहा हो अथवा वह या उसके माता-पिता में से कोई एक/दोनों या फिर उसके दादा-दादी में से कोई एक अथवा दोनों भारत के संविधान के उपबन्धों अथवा 'नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) ' की धारा 2 (ख) के अन्तर्गत भारत का/के नागरिक हो/हों या फिर था/थे।
- 3 12 विदेशी राष्ट्रिक का प्रस्तुत संदर्भ में अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास किसी बाहरी देश की नागरिकता हो (भारत को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिक) और जिसे अनिवासी भारतीय तथा/अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त न हो।
- उ 13 विदेशी विद्यार्थी का प्रस्तुत संदर्भ में अर्थ है वह विद्यार्थी जिसे विदेशी राष्ट्रिक का दर्जा प्राप्त हो और जिसके पास विदेशी पासपोर्ट हो।
- 3 14 'राष्ट्रीय शुल्क समिति ' का अर्थ है- राष्ट्रीय आधार पर तकनीकी संस्थाओं हेतुं 'शुल्क ' लथा 'विकास' शुल्क के निर्धारण हेतु परिषद् द्वारा गठित की गई समिति।'
- 3 15 ' राज्य स्तरीय शुल्क समिति ' का अर्थ है- संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र हेतु शुल्क िं/प्रीरण के लिए अभातशिप के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति ।

- 3.16 "राजकीय संस्था" का अर्थ है- राजकीय तकनीकी संस्था जो सरकार द्वारा संचालित, नियंत्रित तथा प्रबन्धित हो ।
- 3 17 'राजकीय सहायता प्राप्त संस्था ' का अर्थ है- वह तकनीकी संस्था जो अपने प्रचालन व्यय हेतु सरकार अथवा सरकारी संगठनों से 50% से अधिक आवर्ती अनुदान प्राप्त करती हो।
- 3.18 'षमबीए' का अर्थ है- तकनीकी शिक्षा (प्रबन्ध विज्ञान) में 'मास्टर ऑफ बिजनेस एड निस्ट्रेशन नामक एक कार्यक्रम।
- 3 19 'एमसीए ' का अर्थ है तकनीकी शिक्षा (प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन नामक एक कार्यक्रम।
- 3.20 'एम.ई.' का अर्थ है इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग नामक एक स्नातकोत्तर उपाधि।
- 3.21 'एम.टैक. ' का अर्थ है- इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में ' मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ' नामक एक स्नातकोत्तर उपाधि।
- 3.22 'एम. फार्मा.' का अर्थ है- भेषजी में 'मास्टर ऑफ फार्मेसी ' नामक एक रनातकोत्तर उपाधि।
- 3.23 'एम.आर्क.' का अर्थ है- वास्तुकला में ' मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर ' नामक एक स्नातकोत्तर उपाधि।
- 3 24 'रव-वित्तपोषित संस्था' का अर्थ है- वह तकनीकी संस्था जो सरकार से या फिर सरकारी संगठन से या तो कोई आवर्ती अनुदान प्राप्त न करती हो या फिर किसी सरकार अथवा सरकारी संगठनों से अपने प्रचालन व्यय के 50% से कम अनुदान प्राप्त करती हो।
- 3 25 'परिपन्न' का अर्थ है- इन विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत अभातशिप के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले लिखित विवरण जो कि सभी संबंधित पक्षों को या तो डाक द्वारा या फिर समाचार पन्नों में विज्ञापन जारी करके तथा/अथवा इंटरनेट में परिषद्द की वेबसाइट पर जारी करके सूचित किए जाते हों।
- 4.0 अनिवासी भारतीय सीटों पर विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश
 - 4.1 ये दिशा-निर्देश अभातिशप द्वारा अनुमोदित उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जिनको पूरा करने पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/वास्तुकला एवं नगर-नियोजन/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/ होटल प्रवन्ध एवं खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/पोरट डिप्लोमा/एडवान्स डिप्लोमा/डिग्री, एमबीए, प्रबन्ध विज्ञान में रनातकोत्तर डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम, एमसीए तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोरट ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होती हो , परन्तु ये दिशा निर्देश, एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा./एम.आर्क. इत्यादि स्तर के रनातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यकर्मो पर तथा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर लागू नहीं होंगे।

- 4.2 रव-वित्तपोषित संस्थाओं में 50% सीटें, निशुल्क सीटें समझी जाएंगी और शेष 50% सीटें, सशुल्क सीटें मानी जाएंगीं। सशुल्क सीटों में से कुल प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, अनिवासी भारतीयों के लिए सुरक्षित होंगी। अनिवासी भारतीय सीटें, 50% सशुल्क सीटों के अन्तर्गत ही मानी जाएगी। अनिवासी भारतीय सीटों पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है जो स्वयं 'अनिवासी भारतीय' हो और अनिवासी भारतीय के दर्ज के विना कोई अन्य उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं होगा।
- 4.3 संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्रों में प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तकनीकी संरथाओं को कुल संरवीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 5% तक अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमित दी जाएगी। उनकी पृष्टभूमियों में भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य/संघशासित क्षेत्रों में प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों का गुणानुक्रम तय करेगा।
- 4.4 तकनीकी संस्था की स्थापना करने वाले परिवार अथवा जाति, समुदाय, धर्म जैसे किसी भी आधार पर प्रवस्थन के लिए सीटों का कोई कोटा नहीं होगा।
- 4.5 अनिवासी भारतीय कोटे से न भरी जा सकी कोई भी खाली सीट, पुनः सशुल्क सीट श्रेणी में आ जाएगी और इसे तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित पद्धति के अनुसार तैयार की गई चयनित उम्मीदवारों की सूची में से भरा जाएगा। 'अनिवासी भारतीय पायोजित विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए। कोई प्रावधान नहीं है। संस्था को खाली रह गई अनिवासी भारतीय सीट के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों से अनिवासी भारतीय शुल्क के बरावर शिंश वसल करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4.6 खाली रह गई अनिवासी भारतीय सीट पर प्रविष्ट विद्यार्थियों से उतना ही शुल्क वसूला जा सकेगा जितना कि सशुल्क सीटों पर प्रविष्ट विद्यार्थियों से, न कि अनिवासी भारतीय सीट पर प्रविष्ट विद्यार्थियों के बरावर।
- 4.7 प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में 5%, अनिवासी भारतीय कोटे में से खाली रह गई किन्हीं सीटों को सशुल्क सीट के रूप में भरने के लिए प्रयास करेगा।

अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों से वसूला जाने वाला 'शुल्क ' तथा 'विकास शुल्क ' विधिवत् गठित राज्य रतरीय शुल्क समितियों अथवा राष्ट्रीय शुल्क समिति, जो भी लागू हो, द्वारा सय की गई अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

5.0 विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

इन विनियमों के अन्तर्गत, अभातिशप द्वारा अनुमोदित उन तकनीकी संस्थाओं में जो इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/वास्तुकला एवं नगर नियोजन/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/ होटल प्रवन्ध एवं खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/एडवान्स डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोक तकनीकी पाठचक्रम या फिर एमबीए, प्रवन्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम, एमसीए तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा इंजीनियरी/पौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के कार्यक्रम चला रही हों, 15% सीटें अधिसंख्य आधार पर विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल

के व्यक्तियों में से भरने की अनुमित दी जाएगी। ये सीटें अनुभोदित प्रवेश क्षमता के अितिस्वत होंगी। परन्तु इसके लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी की जानी होगी और संबंधित संस्थाओं में अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध हों।

- 5.1 संस्थाएं इस स्थिति में हों कि वे विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को उचित छात्रावास/आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सकें।
- 5.2 उस तकनीकी विभाग/अनुभाग में जिसमें विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियां की प्रवेश दिया जा रहा हों, शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:15 के अनुपात से नीचे नहीं होना चाहिए ।
- 5.3 संस्थाओं में अभातशिप के मानदण्डों एवं मानकों के अनुसार मल्टीमीडिया सुविधायुक्त आधुनिक पुस्तकालय हो।
- 5.4 संस्था का सकल प्लिन्थ क्षेत्रफल (छात्रावासों एवं आवासीय क्षेत्रों को छोडकर) प्रति विद्यार्थी 12.5 वर्गमीटर से कम न हो।
- 5.5 संस्थान और इसके छात्रावासों के लिए उचित पहुंच मार्ग, अच्छा पर्यावरण, पर्याप्त जल आपूर्ति हो और साथ ही सामान्य विद्युत आपूर्ति के अभाव में जेनरेटरों की व्यवस्था भी हो।
- 5.6 पिछले न्यूनतम तीन वर्षों के दौरान संबंधित संस्थाओं को अपर्याप्त अवसंस्वनाहमक सुविधाओं के कारण अभातिशप द्वारा "कोई प्रवेश नहीं" अथवा "घटाई गई प्रवेश क्षमता" श्रेणी में न रखा गया हो।
- 5.7 संस्थान, अभातशिप के अनुमोदन के पश्चात् कम से कम पिछले 5 वर्षों की अनिधि सं चल रहा हो।
- 5.8 पिछले दो वर्षों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 75% से कम न उन हो। इसकी गणना अंतिम परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रदेश हेतु सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाणन अभातिशप द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु उपर्युक्त मापदण्ड को पूरा करने वाली संस्थाएं अभातिशप को एक लिखित अनुरोध के साथ स्थिति रिपोर्ट भेज सकती हैं और विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रवेश हेतु पात्र संस्थाओं की सूची में स्वयं को शामिल कर सकती हैं। अभातिशप, इन स्थिति रिपोर्टों की जांच करेगी और केंवल उन संस्थाओं को ही शामिल करेगी जो उपर्युक्त मापदण्डों को पूरा करती हों। बाद में अभातिशप, ऐसी संस्थाओं की सूची प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी।

विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी के विद्यार्थियों से वसूला 'जाने वाला 'शुलक ' तथा 'विकास शुल्क ' विधिवत् गठित राज्य स्तरीय शुल्क समितियों अथवा राष्ट्रीय शुल्क समिति , जो भी लागु हो हारा तय की गई अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

ये अधिसंख्य सीटें डिप्लोमा, स्नातकंपूर्व एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनन्य रूप से विदेशी विद्यार्थिया के लिए ही होंगी और यह शर्त भी होगी कि खाली रह गई कोई सीट किसी भी परिस्थिति में विदेशी विद्यार्थी/भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की जाएगी।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के माध्यम से अथवा विभिन्न विनिमय/अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार के नामिती के रूप में किसी अभातशिप अनुमोदित संस्था में प्रविष्ट विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को इसी 15% की अधिकतम सीमा में शामिल किया जाएगा और इन विद्यार्थियों द्वारा अदा किया जाने वाला शुल्क एवं विकास शुल्क राज्य स्तरीय शुल्क समितियों अथवा राष्ट्रीय शुल्क समिति, जेसा भी निर्णय इन समितियों द्वारा लिया जाए, द्वारा अलग से तय किया जाएगा।

- 6.0 सामान्य उपवन्ध
- 6 1 इन विनियमों के किसी उपवन्ध के स्पष्टीकरण के यारे में आंग अनिवासी भारतीय/विवर्णा सिट्रेक/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी/कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हेतु दिशा-निर्देशा के संशोधन तथा/अथवा सीटों के प्रतिशत के बारे में अभातिशिप के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, जब भी आवश्यक होगा, एक परिपत्र जारी करके सुचित कर दिया जाएगा।
- 6.2 नवीनतम परिपत्र के उपबन्धों से, उसके पूर्व जारी किए गए परिपत्रों के परस्परत्याकी उपबन्ध निरस्त हो जाएंगे।

प्रो. आर. एस. निर्जर. सदस्य-सचिव [विज्ञापन III/IV/162/2002/असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2002

No. 26-7/Legal/2002.— In exercise of the Powers conferred by Clause (j) and clause (o) of Section 10 read with Section 23 of All India Council for Technical Education Act (No. 52 of 1987), the Council hereby makes these Regulations within the meaning of Section 2(f) of the said Act, 1987 in supersession of the Regulations, 2000 and Circular dated October 03/09, 2001 mentioned herein below:

- a) The All India Council for Technical Education (for Admission under Foreign Nationals(FN)/Persons of Indian Origin (PIO) category/quota in AICTE approved institutions) Regulations, 2000 (as Published in the Gazette of India in Part III Section IV on March 31, 2001);
- b) Circular No. F.38-7/Legal/2001, dated October 03/9, 2001 issued by the Council providing guidelines for admission against NRI Seats.

1.0 SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- 1.1 These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Admission under Non Resident Indian(NRI)/ Foreign Nationals(FN)/ Persons of Indian Origin (PIO) category/quota in AICTE approved institutions) Regulations, 2002.
- 1.2 They shall come into force with effect from the date of the official publication in the Gazette of India.

2.0 APPLICABILITY

These Regulations shall be applicable to all 'Self Financing Institutions'.

"Institutions" (including Departments/ Sections of Deemed Universities, Departments/ Sections and Constituent /Affiliated Colleges of Universities conducting/ offering courses/ programmes in Technical Education), other than 'Self Financing Institutions', may follow these regulations based on instructions of respective State Governments/ U.T. Administrations/ Central Government/ University Grants Commission.

3.0 DEFINITIONS

All the words and expressions used herein are not defined in Section 2 of All India Council for Technical Education Act (No. 52 of 1987). Unless the

context otherwise requires, the words and expressions defined herein shall have the same meanings respectively assigned to them under these Regulations. The words and expressions which are not explicitly defined in Section 2 of the said Act, 1987 are provided with the following definitions for the purpose of the present Regulations:

- 3.1 'Act' means All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- 3.2 "Competent Authority in AICTE" means the Council or the Executive Committee (EC) of the Council (or Sub-Committee of EC) or the Chairman of the Council or the Vice-Chairman of the Council in absence of the Chairman;
- 3.3 "Competent Authority for Admission" means Central Govt. or, State Govt. or Union Territory Administration or University or any other authority as may be designated by the Govt. by Law to allot students for admissions to "Technical Institutions" in a State or Union Territory.
- 3.4 "Institution" means "Technical Institution" as defined in Section 2 (h) of the Act, 1987.
- 3.5 "Fees" mean tuition and other fees, but does not include "Development Fee".
- 3.6 "Development Fee" means a fixed amount for each category of Technical Institution, prescribed by AICTE for Development of "Technical Institutions" to be charged from the students in addition to "Fees".
- 3.7 "Free Seats" means the seats on which the "Fees" payable are same as prescribed for the Govt. Institution / Govt. Aided Institution in the concerned state or Union Territory. In case of variation of "Fees" charged by different "Govt. Institutions / Govt. Aided Institutions", the highest "Fees" charged by any "Govt. Institution/ Govt. Aided Institution" for any programme in "Technical Education" shall be the "Fees" for "Free Seats".
- 3.8 "Payment Seats" means the seats on which the "Fees" payable shall be higher than the same for "Free Seats" as determined by the "State Level Fee Committee" or "National Fee Committee".
- 3.9 "NRI" in this context means Non-Resident Indian as defined in Income Tax Act, 1961 with the following clarifications:

An individual is Non-Resident when he is "not a resident" or who is "not ordinarily resident". A person is treated as "not ordinarily resident" when any of the following conditions is satisfied:

- (1) If he/she has not been resident in India in nine out of ten preceding years; or
- (2) If he/she has not been in India for a period of 730 days or more during the preceding seven years.
- 3.10 "NRI Seats" means the seats for admission of NRI to the programmes in "Technical Education".
- 3.11 "Persons of Indian Origin" (PIO) in this context means a person having foreign citizenship (except Pakistan and Bangladesh) without "NRI" status, but who holds an Indian Passport at the time of sending application, consideration for admission and during the period of his study or he/she or any one/ both of his/her parents or any one/ both of his/her grand parents is (or was) / are (or were) citizen (s) of India by virtue of the provisions of the Constitution of India or Section 2 (b) of Citizenship Act, 1955 (Act No. 57 of 1955).

 (Please return to Carrigenship and Market have required to the provisions),
- 3.12 "Foreign National" (FN) in this context means an individual having citizenship of a foreign country (citizens of all countries other than India) and not having the status of "NRI" and/or "Persons of Indian Origin" (PIO).
- 3.13 "Foreign Student" in this context means a student with the status of Foreign National who possesses a foreign passport.
- 3.14 "National Fee Committee" means a Committee constituted by the Council for determining "Fees" and Development Fee for "Technical Institutions" on national basis.
- "State Level Fee Committee" means a Committee constituted by the "Competent Authority in AICTE" for determining "Fees" for concerned State /Union Territory.
- 3.16 "Govt. Institution" means Govt. "Technical Institution" which is run, controlled and managed by the Government.
- 3.17 "Govt. Aided Institution" means Technical Institution receiving more than 50% recurring grants from Govt. or Govt. organizations for its operating expenses.
- 3.18 "MBA" means Master of Business Administration, a programme in the "Technical Education" (Management).
- 3.19 "MCA" means Master of Computer Application, a programme in the Field of "Technical Education" (Technology).
- 3.20 "M.E." means Master of Engineering, a post-graduate degree in Engineering/ Technology.

- 3.21 "M.Tech." means Master of Technology, a post-graduate degree in Engineering/ Technology
- 3.22 "M.Pharm." means Master of Pharmacy, a post-graduate degree in Pharmacy.
- 3.23 "M.Arch. means Master of Architecture, a post-graduate degree in Architecture.
- 3.24 "Self-Financing Institution" means "Technical Institution" either not receiving any recurring grant from Govt. or Govt. organization or receiving recurring grants less than 50% of its operating expenses from Govt. Organisations.
- 3.25 "Circular" means written statements issued by the "Competent Authority in AICTE" under the provisions of these regulations, which are circulated to all concerned either by post or by issuing an advertisement in Newspapers and/or Website in Internet of the "Council"

4.0 GUIDELINES FOR ADMISSION OF STUDENTS TO NRI SEATS

- 4.1 These guidelines shall be applicable to Technical Institution approved by AICTE offering courses in Technical Education leading to Diploma/ Post-Diploma/ Advanced Diploma/ Degree in Engineering (Engg.) & Technology (Tech.)/ Architecture (Arch.) & Town Planning/ Pharmacy (Pharm.)/ Applied Arts & Crafts/ Hotel Management & Catering Technology (HMCT), MBA, Post-graduate Diploma level programme in Management, MCA and Post-graduate Diploma in Computer Application, but shall not be applicable to Post- graduate Courses/ Programme of the level of M.E./ M.Tech./ M.Pharm./ M.Arch. etc. and Post-graduate Diploma in Engineering/ Technology.
- 4.2 In the self financing Institutions, 50% seats shall be treated as free seats and other 50% seats shall be treated as payment seats. Out of payment seats, 5% seats of total intake shall be earmarked for NRIs. The NRI seats shall be treated within the 50% payment seats. Against NRI seats, only a person who is NRI himself/herself may seek admission and no other candidates without NRI status would be eligible.
- 4.3 The Technical Institutions shall be permitted by the competent authority for admission in respective States/ UTs to admit the NRI students upto maximum of 5% of the total sanctioned intake. In view of the difference in their backgrounds, the competent authority for

admission in the State/UTs shall determine the merit of these candidates having regard to all the relevant factors.

- 4.4 There shall be no quota of seats for the Management on any basis such as caste, community, religion or family which had established the Technical Institution.
- 4.5 Any seat remaining unfilled from the NRI quota will be reverted to the payment seats and this will have to be filled from the list of selected candidates prepared as per the procedure laid down for admissions to Technical Institutions. There is no provision for admission of "NRI sponsored" students. The Institution shall not be permitted to charge "equivalent amount" of NRI fees from the students admitted under vacant NRI seats.
- 4.6 The fees chargeable from the students admitted against vacant NRI seats shall be the same as chargeable for the students admitted against payment Seats and not against the NRI Seats.
- 4.7 The competent authority for admission shall make attempts to fill any vacant seats, which may remain unfilled in 5% NRI quota in each academic year, as payment seat.

The "Fees" and "Development Fees" to be charged from the NRI students shall be as per the ceiling fixed by the duly constituted State Level Fee Committees or the National Fee Committee, which ever is applicable.

5.0 GUIDELINES FOR ADMISSIONS OF FOREIGN NATIONALS/ PERSONS OF INDIAN ORIGIN (PIO)

Under these Regulations fifteen per cent (15%) seats in the Technical Institutions approved by AICTE offering technical courses leading to Diploma/ Post-diploma/ Advanced Diploma/ Degree/ Post-Graduate Degree in Engineering & Technology/ Architecture & Town Planning/ Pharmacy/ Applied Arts & Crafts/ Hotel Management & Catering Technology, MBA, Post-graduate Diploma level programme in Management, MCA, Post-graduate Diploma in Computer Application and Post-graduate Diploma in Engineering/ Technology shall be allowed on supernumerary basis from amongst Foreign Nationals/ Persons of India Origin (PIOs) over and above the approved intake. This is subject to the following conditions and availability of infrastructural facilities in the respective institutions:

5.1 The Institutions should be able to provide suitable hostels/ residential accommodation to the Foreign Students/ Persons of Indian Origin (PIOs).

- 5.2 The teacher:student ratio in the technical department/ section where Foreign Nationals/Persons of Indian Origin are admitted is not below 1:15.
- 5.3 Institutions have a modern library as per norms & standards of AICTE with multi media facilities.
- 5.4 The total plinth area of the institution (excluding hostels and residential areas) is not less than 12.5 sq.mtrs. per student.
- 5.5 The Institute and its hostels have proper approach road, good environment, sufficient water supply and an arrangement for generators in absence of normal supply of electricity.
- 5.6 The concerned institutions was not put under "No Admission" or "Reduced Intake" category by AICTE due to poor infrastructural facilities atleast during the last 3 years.
- 5.7 The institute is functioning atleast for a period of 5 years after. AICTE approval.
- 5.8 The results of the last two years for final year students are not less than 75%, calculated based on Number of students appeared for the final examination.

AICTE shall certify the availability of facilities for admission of Foreign Nationals/PIO. For this purpose, the institutions meeting the above criteria, may submit Status Reports alongwith written request to AICTE for inclusion of the institutions under the list of eligible institutions for admission of Foreign Nationals/PIOs. AICTE shall examine the Status Reports and will include only those institutions who fulfill all the above criteria. AICTE shall subsequently communicate the list of such institutions to the competent authority for admission.

The "Fees" and "Development Fees" to be charged from amongst Foreign Nationals/Persons of India Origin (PIOs) students shall be as per the ceiling fixed by the duly constituted State Level Fee Committees or the National Fee Committee, which ever is applicable.

These supernumerary seats shall be exclusively meant for the foreign students in the diploma, under-graduate and post-graduate courses with a condition that under no circumstances a seat remained unfilled shall be allocated to any one other than a foreign student/PIO.

Foreign Nationals/Persons of Indian Origin (PIOs) admitted in an AICTE approved institutions through Indian Council for Cultural Relations (ICCR) or as Government of India nominee under various exchange/ other programme shall be included within the 15% Ceiling and the fees and development fee to be paid by these students may be decided separately by State Level Fee Committees or the National Fee Committee, as decided by these Committees.

6.0 GENERAL PROVISIONS

- 6.1 The decision of the competent authority in AICTE regarding clarification on any provision of these Regulations and for modifications of guidelines for admission and/or percentage of seats under NRI/ Foreign Nationals/ PIO category/quota, as and when required, will be communicated by issuing a circular.
- The provisions of the latest circular will supersede the overlapping provisions of previous circulars issued.

Prof. R. S. NIRJAR, Member-Secretary [ADVT. III/IV/162/2002/Exty.]